राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा

[EDUCATION FOR NATIONAL INTEGRATION]

प्रश्न—राष्ट्रीय एकता से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा में विद्यालय की भूमिका को समझाइए।

(What do you understand by National Integration? Discuss the role of school in education for achieving national integration.)

प्रश्न—सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे धर्म निरपेक्ष जनतन्त्र में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है?

(Why is National Integration important for social progress? How can education help to achieve national integration in our secular democracy?)

प्रश्न—राष्ट्रीय एकता के विकास में आने वाली बाधाओं को शिक्षा किस प्रकार दूर कर सकती है ?

(How Education can remove the obstacles in development of National Integration.)

उत्तर—भूमिका—राष्ट्रीय एकता एक भावना है। यह इस बात का द्योतक है कि किसी देश के निवासी आपस में एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, सद्भावना रखते हैं। वे नागरिक राष्ट्र की उन्नति तथा रक्षा के लिए परस्पर मिल-जुलकर कार्य करते हैं। उनमें एकीकरण होता है। एकता की प्रक्रिया सदस्यों के परस्पर सम्बन्धों को व्यक्त करती है। इस प्रकार एकीकरण या एकता राष्ट्र को संगठित करने वाली प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ

भारत की राष्ट्र के रूप में अति प्राचीन काल से ही मान्यता रही है। विद्वान्, साहित्यकार और धार्मिक व्यक्ति सदैव इसे एक सूत्र में बाँधे रहने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के होते हुए भी संस्कृत यहाँ की समान भाषा रही है। यद्यपि यहाँ अनेक धार्मिक ग्रन्थ हैं, फिर भी वेद और गीता का सदैव सम्मान हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत एक राष्ट्र है।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय एकता का सामान्य अर्थ है किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना। यह भावना राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है। इसके अभाव में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अतः देश के विभिन्न धर्मों में, भाषाओं तथा जातियों के आधार पर देश के हित के लिए देश-प्रेम और देश-भक्ति की भावनाओं की एकता को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। राष्ट्रीय एकता के दो मुख्य तत्व होते हैं—प्रथम नागरिकों में एकता की भावना और द्वितीय राष्ट्र हित के समक्ष अपने हितों का त्याग।

यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और देश-भक्ति में अन्तर समझ लेना भी आवश्यक है। देश-भक्ति राष्ट्रीय एकता के प्रत्यय से पुराना प्रत्यय है। देश-भक्ति से आशय है—देश के प्रति अगाध प्रेम। देश-भक्ति में व्यक्ति का देश के प्रति प्रेम निहित होता है। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्र की समस्त सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदा, सभ्यता, संस्कृति और विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के प्रति प्रेम होता है। परन्तु यह अन्तर अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। देश-भक्ति के भावात्मक पक्ष से अधिक सम्बन्धित होती है और राष्ट्रीय एकता बौद्धिक पक्ष से सम्बन्धित होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के अन्तर्गत देश-भक्ति तो सम्मिलित है ही, परन्तु साथ ही इससे देश की भाषा, संस्कृति परम्परा और देश के इतिहास पर भी ध्यान केन्द्रित हो जाता है। राष्ट्रीय एकता एक व्यापक शब्द है परन्तु राष्ट्रीय एकता और देश-भक्ति का उद्देश्य एक ही है।

राष्ट्रीय एकता की परिभाषा

राष्ट्रीय एकता की कुछ परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) जे. एस. बेदी—"राष्ट्रीय एकता से आशय है—देश के विभिन्न राज्यों के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा सम्बन्ध विभिन्नताओं को उचित सीमा के अन्दर रखना और उनमें भारत की एकता को सम्मिलित करना।"

(2) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने राष्ट्रीय एकता की परिभाषा इस प्रकार की है—"राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके आधार व्यक्तियों के हृदय में एकता, संगठन एवं निकटता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित की जाती है।"

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता

राष्ट्र की एकता बनाये रखना भारतवर्ष के लिए एक गम्भीर समस्या है। केवल कुछ देशों को छोड़कर यह समस्या इतने जटिल रूप में किसी देश के सम्मुख नहीं है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसा विचार है जो यह इंगित करता है कि एक देश के रहने वाले एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आपस में मिल-जुलकर रहते हैं और वे देश की उन्नति, देश की सुरक्षा और देश के कल्याण के लिए सक्रिय रहते हैं। उन नागरिकों में एकीकरण होता है और देश-प्रेम का स्तर ऊँचा होता है। जो शक्तियाँ राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधती हैं, वे सब राष्ट्र के एकीकरण की शक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार एकीकरण वह प्रक्रिया हुई जो विभिन्न भागों को मिलाकर एक सम्पूर्ण राष्ट्र बनाती हैं। अतएव एकीकरण राष्ट्र के संगठन की प्रक्रिया है। सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। इसके अभाव में समाज का विकास असम्भव है।

डॉ. राधाकृष्णन् का मत है—"राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ सम्बन्ध है।"

भारतवर्ष के इतिहास के पृष्ठ पलटने के बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस देश के दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की चेतना का अभाव रहा है। कुछ थोड़े से विदेशी यहाँ आते हैं और वे यहाँ राज्य करने लगते हैं। यहाँ के लोग कभी एक होकर उनका सामना नहीं करते और धीरे-धीरे उनसे पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता का अभाव है। इस समय भारत की आबादी 105 करोड़ से अधिक है। परन्तु उनमें राष्ट्रीय एकता की बड़ी कमी है। जनतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाय। राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए।

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ

राष्ट्र किसी देश के निवासियों का सर्वस्व है और राष्ट्रीय एकता एक मंगलमय वरदान है। जिस देश में एकता नहीं, संगठन नहीं, वह देश नरक के समान है। आज हमारा देश भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक एक अलभ्य मनोरथ की हीनता का अनुभव कर रहा है जो सुख-शान्ति हमारे पूर्वजों ने अनुभव की, आज हम उसी के लिए तरस रहे हैं। इसका मूल कारण है—राष्ट्रीय एकता का अभाव। इस राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने वाले निम्नलिखित तत्व हैं—

(1) भाषावाद—भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारे देश में प्रायः भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किये जाने की माँग उठती रहती है। भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारे संविधान ने 14 भाषाओं का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी भी है। हिन्दी जैसी भाषा की अनेक उपभाषाएँ हैं। हम मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा से प्रेम होना स्वाभाविक है। भाषा के आधार पर अनेक सीमा-विवाद उठ खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा ने पंजाब से और आन्ध्र ने उड़ीसा से भाषा के आधार पर कुछ प्रदेशों की माँग की है। ये विवाद राज्यों में परस्पर एकता होने नहीं देते। अतएव राष्ट्र एकता की अपेक्षा विघटन की ओर बढ़ता जाता है। यदि भाषा के आधार पर राज्यों की माँग को स्वीकार कर लिया जाय तो देश के असंख्य छोटे-छोटे खण्ड हो जायेंगे।

(2) जातिवाद—जातिवाद (Casteism) और राष्ट्रीय एकता एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। राष्ट्रीय एकता का विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र के सभी निवासी अपने को एक-दूसरे के समान समझें, उनमें ऊँच-नीच की भावना न हो। भारत में एक जाति के मनुष्य अपनी ही जाति के सदस्यों की उन्नति की कामना करते हैं। वे केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जाति के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। जिस जाति का बहुमत होता है, उस जाति का व्यक्ति चुना जाता है। इस प्रकार चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जातिगत बन्धनों से बँधा रहता है। ऐसी परिस्थिति राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है।

(3) शिक्षा-व्यवस्था—हमारी शिक्षा-व्यवस्था (Education System) भी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक तत्व है। भारत में अभी तक वही शिक्षा दी जाती है जो परतन्त्र भारत में दी जाती थी। शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना आज भी हमारा ध्येय है। इसका परिणाम यह होता है कि कभी इंजीनियर बेकार हैं तो कभी डॉक्टर। बी. ए. और एम. ए. पास करके के पश्चात् भी व्यक्ति बेकार रहते हैं। शिक्षा को प्रान्तीय सरकारों से हटाकर केन्द्र का विषय बनाना चाहिए और केन्द्र के द्वारा एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जानी चाहिए। यदि शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय आधार पर की जाये तो राष्ट्रीय एकता की दिशा में कुछ दूर आगे जाया जा सकता है।

(4) भाषावाद प्रान्त निर्माण—राष्ट्रीय एकता का सबसे प्रमुख बाधक तत्व भाषावाद के आधार पर प्रान्तों का निर्माण करना है। पहले सभी भाषी-भाषा दूसरे प्रान्त में व्यवसाय या नौकरी के लिए आते-जाते थे। मुम्बई, कोलकाता आदि बड़े नगरों की जनसंख्या इसी तरह बढ़ गयी है। इन नगरों में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व देश के सभी भागों में जनता ही नहीं वरन् देश-विदेश के लोग भी रहते थे। उनमें परस्पर कटुता का अभाव था। परन्तु आज दशा यह है कि प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त के लोगों को अपने प्रान्त से खदेड़ देना चाहते थे। प्रान्तवाद का दैत्य अपना आकार बढ़ाता ही जा रहा है। इसमें बड़े-बड़े नेताओं का भी हाथ कम नहीं है। ऐसी दशा में देश में राष्ट्रीय एकता कैसे कायम रह सकती है?

(5) चुनाव-पद्धति—चुनाव-पद्धति भी हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। जो व्यक्ति विभिन्न दलों के टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं वे जातिवाद के आधार पर ही खड़े होते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बहुमत होता है उसमें जाति का व्यक्ति खड़ा किया जाता है जिससे अधिक से अधिक मत प्राप्त किये जा सकें।

(6) अंग्रेजी भाषा—राष्ट्रीय एकता का एक और बाधक तत्व अंग्रेजी भाषा है। यह भाषा ही सब प्रकार के भेदभाव का कारण है। इसके कारण न तो प्रान्तीय भाषाओं का विकास हो पाता है और न भारतीय लोगों की बुद्धि का। अंग्रेजी भाषा उत्तर-दक्षिण के लोगों में झगड़ा कराती है। लोगों में यह भय बैठ गया है कि बिना अंग्रेजी के ज्ञान के आदमी मूर्ख रह जायेगा। भारत सरकार की ढुलमुल नीति ने इस समस्या को और अधिक

Scanned with CamScanner

उलझा दिया है तथा राष्ट्रीय एकता के पथ में व्यवधान खड़े कर दिये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान दिया जाय।

(7) देश के कानून—भारत में प्रजातन्त्र है परन्तु यहाँ जो कानून बनते हैं वे विभिन्न सम्प्रदाय के अनुयायियों को अलग-अलग दृष्टि में रखकर बनाये जाते हैं। भारत में विवाह या तलाक सम्बन्धी कानून अलग-अलग हैं। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। फिर हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों बनाये जाते हैं? इस व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता को धक्का लगता है।

(8) सम्प्रदायवाद—राष्ट्रीय एकता में एक प्रमुख बाधक तत्व सम्प्रदायवाद भी है। भारत में अनेक सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। राजनीतिक चुनावों में साम्प्रदायिकता का बोलबाला रहता है। धर्म के नाम पर अनेक झगड़े होते रहते हैं। **'धर्म निरपेक्षता'** कोरा नारा बनकर रह जाती है। सरकार द्वारा अल्पमत के नाम पर तुष्टीकरण की नीति को प्रश्रय दिया जाता है। भारत में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों का कारण सरकार की यही दुरंगी नीति है।

(9) आर्थिक असमानता—हमारे देश में आर्थिक असमानता है। कोई निर्धन है तो कोई धनी। कुछ व्यक्ति अत्यधिक धनी है तो कुछ लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। कुछ व्यक्ति आलीशान कोठियों में रहते हैं तो कुछ व्यक्तियों को झोंपड़ी भी नसीब नहीं होती। सरकार समाजवाद का नारा तो लगाती है परन्तु अमीर और निर्धन व्यक्तियों के बीच खाई पाटने का कार्य नहीं करती। इस आर्थिक असमानता के मध्य राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित की जा सकती है।

(10) भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता— भारत के स्वतन्त्र हुए 58 वर्ष से अधिक हो गये हैं। परन्तु हम पहले से अधिक पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा रहन-सहन पाश्चात्य सभ्यता में रंग गया है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। लोग भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीन हो गये हैं। हमारे बालक-बालिकाओं की वेशभूषा, खान-पान, रीति-रिवाज पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत हैं। उनका भारतीयता से कोई लगाव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न संस्कृतियों के कारण राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं है।

(11) अल्पसंख्यक लोग—भारत में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी आदि कई जातियाँ रहती हैं। ये लोग विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। परन्तु वे मुख्यतः भारतीय हैं। हिन्दुओं के अतिरिक्त शेष सभी जातियाँ अल्पसंख्यक मानी जाती हैं। इनका मूल धर्म भारतीय भूमि की उपज नहीं है। अतएव उनमें से अधिकांश लोग अपने-अपने मूल देश की ओर आकर्षित रहते हैं। स्थूल रूप से वे इस देश के वासी हैं परन्तु मानसिक दृष्टि से वे दूसरे देशों में रहते हैं। देश की प्रगति से उन्हें कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। जिस समय अधिकार का प्रश्न उठता है, वे समानाधिकार की माँग करते हैं। देश की चाहे जैसी स्थिति हो, उन्हें सुविधाएँ मिलनी ही चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित हो सकती है?

(12) अशिक्षित जनता—भारत में अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित हैं। उनके अशिक्षित होने के कारण राजनीतिक दल उन्हें गुमराह करते रहते हैं। राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानात्मक ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा राष्ट्रीय एकता की भावनाओं, राष्ट्र के लिए मर-मिटने की क्षमता और सहिष्णुता का विकास करना भी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को इन उद्देश्यों के अनुरूप बनावें और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक क्रिया-कलापों को निर्धारित करें।

(13) देशद्रोही राजनीतिक दल—देश के कुछ देशद्रोही दल भी राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करते रहते हैं। ऐसे दल राष्ट्रीय विघटन की भूमिका तैयार करते हैं, राष्ट्रीय एकता की नहीं। अतः राष्ट्र एकता के स्थान पर विघटन की ओर बढ़ता जाता है।

Scanned with CamScanner